राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/20/ 39126 जयपुर,दिनांकः 15/01/2020

अधिसूचना

विषयः– नाम हस्तान्तरण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में नगरीय निकायों में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 118 में निम्नांकित प्रावधान हैः–

"जब कभी या तो ऐसी सूचना द्वारा या अन्यथा ऐसा अन्तरण, नगरपालिका की जानकारी में आये और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, नगरपालिका रजिस्टर में उस व्यक्ति के स्थान पर, जो मूलतः दायी है, अन्तरिती का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।"

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 27 के प्रावधान है कि "नाम का अन्तरण–भूमि के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम के अन्तरण के लिए स्थानीय प्राधिकारी को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किऐ जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षित की जायेगी, परन्तु मृत्यु के मामलों में नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।"

उपरोक्त प्रावधानो में अपेक्षित नहीं होने के बावजूद भी अनावश्यक जांचों/औपचारिकताओं के लिऐ आवेदकों से चक्कर लगवाये जाते है और कई महिनों तक उनके काम को लम्बित रखा जाता है।

यदि नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों का सहज रूप से निस्तारण होता है, तो इससे जहां एक ओर फीस, लीज रेंट में वृद्धि आदि से राजस्व की प्राप्ति होगी, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी वही दूसरी ओर आमजन को भी सुविधा होगी। सम्पत्ति के नियमन होने/हस्तान्तरण होने या उत्तराधिकार के आने के बाद नये भू–स्वामी से नाम हस्तान्तरण के बिना कर वसूली में भी कठिनाई आती है। इसलिऐ ऐसे कामों को त्वरित एवं समयबद्ध रूप से कराने की आवश्यकता है।

इन मामलो में सैटबैक या ले–आउट प्लान या भवन निर्माण स्वीकृति आदि के लिऐ कनिष्ठ अभियन्ता या अन्य अधिकारी से मौका निरीक्षण कराया जाकर और विभिन्न शाखाओं से कई प्रकार की रिपोर्ट ली जाकर आवेदकों के बार–बार चक्कर लगवाये जाते है। इस प्रकार की कार्य प्रणाली से प्रशासन की छवि खराब होती है और जनता को भी परेशानी उठानी पडती है।

अब नाम हस्तान्तरण के किसी भी प्रकरण में ना तो मौके की जांच कराई जाये और ना ही ले–आउट/नक्शें की जांच कराई जाये। नीचे सारणी में दर्शायें गये दस्तावेज यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किऐ जाते है, तो केवल उत्तराधिकार एवं पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयत के मामलों में समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जावें। विक्रय पत्र या गिफ्ट डीड के ऐसे मामलों में जहां नगरीय निकाय से पट्टा जारी होने के बाद एक से अधिक बार हस्तान्तरण हुआ हो, में भी समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित

15/1/20

Scanned by CamScanner

कराई जावें, अन्य मामलों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात् मूल केता/आवंटी द्वारा विक्रय पत्र/गिफ्ट डीड किया जावें, तो उसके लिऐ विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण में आवश्यक होगी।

विज्ञप्ति किसी एक राज्यस्तरीय प्रमुख समाचार पत्र में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित करायी जावें। इसके समानान्तरण ही भूखण्ड पर बकाया की रिपोर्ट लेकर बकाया राशि तथा निर्धारित अन्तरण फीस जमा कराने की कार्यवाही भी कर ली जावें। नाम हस्तान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही 21 दिन में सम्पादित कर ली जावें।

नाम हस्तान्तरण के मामलों में आवेदन पत्र के साथ केवल वहीं दस्तावेज लिऐ जायेगें, जिनसे भूखण्ड स्वामी के नाम हस्तान्तरण प्रमाणित होता हो। ऐसे दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार है:–

#	Mode	Documents Required
1	Name Transfer on the basis of Sale Deed or Gift Deed or Relinquish Deed (हक त्याग) or on the basis of order of Court	✓ Self-Declaration ✓ Photo Id issued by Government (Aadhar Card/Driving License/Passport/Voter Id) ✓ Registered Gift Deed or Sale Deed or (हक त्याग) or certified copy of order of Court (As the case may be) ✓ Lease Deed (Patta) Issued, if any or not ✓ Affidavit for No Appeal Pending/Pending Decision with other Courts (In case of court order)
2	Name Transfer on the basis of Will	✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar Card/Driving License/Passport/Vote Id) ✓ Registered Will or Unregistered Will with affidavit witnessed by 2 persons ✓ Death Certificate ✓ Lease Deed (Patta) Issued, if any or not
3	Name Transfer in favour of successors based on Death Certificate	✓ Self-Declaration ✓ Photo ID issued by Government (Aadhar Card/Driving License?Passport/Voter Id) ✓ Death Certificate ✓ Lease Deed (Patta) Issued, if any or not

अतः इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 37067 दिनांक 26.11.2019 की निरन्तरता में निर्देश दिऐ जाते है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के तहत लम्बित आवेदन–पत्रों, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के तहत लम्बित मामलों, नीलामी द्वारा विकीत या लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्डों एवं नियमन से शेष अन्य मामलों में भी नाम अन्तरण/प्रतिस्थापन उपरोक्तानुसार साक्ष्य (पट्टे के अलावा) लेकर किया जाये, भले ही संबंधित भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया हुआ हो।

नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

2/12/19

Scanned by CamScanner

समय सीमा में निस्तारण नहीं करने वाले या अनावश्यक चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

15/1/20

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/20/ 39127 - 39355 दिनांकः 15/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राज.सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
5. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष/नगर निगम/परिषद/पालिकांए राजस्थान।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राज.।
7. समस्त, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकांए राजस्थान।
8. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
9. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जाकर विभाग को 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by CamScanner

अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय के संबधं में नगर निकायों को आवेदन प्रस्तुत करने का फॉर्म

- वास्ते आयुक्तगण/सचिवगण/अधिशाषी अधिकारी
- नगर निगम–नगर परिषद–नगरपालिका.....

1. सूचना के नोटिस की दिनांक.....
2. वर्तमान समय अचल सम्पत्ति किसके नाम है.....
3. सम्पत्ति किसके नाम होनी है.....
4. सम्पत्ति क्या है? भवन/भूमि.....
5. संबंधित सम्पत्ति का क्षेत्रफल.....
6. अन्य आवश्यक विवरण.....
7. अचल सम्पत्ति किस स्थान पर स्थित है.....
8. क्रय/विक्रय या हस्तान्तरण किस पद्धति या दस्तावेज से हुआ है.....
9. अन्य आवश्यक जानकारी जो आवेदक देना चाहता है.....
10. संलग्न दस्तावेजों का विवरण.....

आवेदक का नाम
पूर्ण पता मय हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner